न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर
(पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
राजस्ववाद सं19 / 2020
जीसीएमएस–2020 / 00037

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.रामलाल पुत्र गोरधन। 2.किशनाराम पुत्र गोरधनं 3.लक्ष्मीदेवी पत्नी गोरधन। 4.रूपाराम पुत्र हरीराम। 5.प्रेमाराम पुत्र हरीराम। 6.पांचाराम पुत्र हरीराम। 7.धनाराम पुत्र हरीराम। 8.वीरमाराम पुत्र हरीराम। 9.जमनादेवी पत्नी हरीराम जातियान जाट निवासीगण वोढ़ा तह–सांचौर जिला सांचौर। 10.भूरी देवी पुत्री गोरधनराम पत्नी चेनाराम जाति जाट निवासी पादरड़ी तह–गुड़ामालानी जिला बाड़मेर। 11. रूकमणदेवी पुत्री गोरधनराम पत्नी बाबुलाल जाति जाट निवासी सेड़िया तह–सांचौर जिला सांचौर।		1.पुरखाराम पुत्र लिसमणाराम। 2.कालुराम पुत्र लिसमणाराम जातियान जाट निवासीगण वोढ़ा तह–सांचौर जिला सांचौर 3.व्यवस्थापक पंजाब नैशनल बैंक शॉखा खारा। 4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

दावा अन्तर्गत धारा 188,183 राज. काश्तकारी अधि.1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– तारीख रजूः– 17.03.2020

1. श्री जालाराम पुनिया, प्रार्थी अधिवक्ता।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 एक पक्षीय ।

निर्णय

दिनांक 25.07.2024

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया कि मौजा वोढ़ा पटवार हल्का खारा में वादीगण के खातेदारी व मालिकाना हक–हकूक के खेत खसरा नम्बर 272 रकबा 0.88 हैक्टयर भूमि का आया हुआ है। उपरौक्त आराजी का वादीगण सदैव लगान अदा करते आ रहे है तथा गिरदावरी हमारे नाम तजवीज होती आ रही हैं। हम वादीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 272 रकब 0.88 हैक्टयर भूमि नक्शे में अलग तरमीमसुदा है। लेकिन वादग्रस्त खेत की माठ को प्रतिवादीगण अपने खेत दरखत बबुल थोर की माठ को प्रतिवादीगण तोड़ते रहते है। जिससे प्रतिवादीगण उक्त माठ को लेकर टंटा फसाद करने को उतारू रहते है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अवैध व गैर [illegible] से अतिक्रमण कर लिया है, जो नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में लाल रंग से दर्शाया गया [illegible] दपत्र का अभिन्न अंग माना जाकर साथ पढा जावे। जिससे ऐसा [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] गैर कानूनी व स्वैच्छाचारी है, जिसे रोकने हेतु दावा स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] प्रार्थीगण ने सीमा चि[illegible] ज्ञान हेतु तहसीलदार सांचौर के कार्यालय में उपस्थित हो [illegible] भूमि पैमाईश कराने हेतु पत्र पेश किया, जिसपर भूमिधारी तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रार्थी के आवेदन को रजिस्ट्रर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:58:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठ संख्या 49 क्रमांक संख्या 12 दिनांक 14.06.2020 को दर्ज किया गया और जांच तथा सीमाज्ञान के लिए हल्का पटवारी सांचौर को आदेशित किया गया।

तहसीलदार सांचौर के उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी खारा मौके पर आये तथा मौका देखा तो मौजा वोढा पटवारी हल्का खारा के खेत खसरा नम्बर 272 रकबा 0.88 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम रामलाल, किशनाराम पुत्र गोरधनराम व भूरी देवी पुत्री गोरधनराम, रूकमणदेवी पुत्री गोरधनराम, लक्ष्मीदेवी पत्नी गोरधनराम, रूपाराम,प्रेमाराम,पांचाराम धनाराम,वीरमाराम पुत्र हरीराम, जमनादेव पत्नी स्व.हरीराम कौम जाट निवासीगण वोढा के नाम खातेदारी दर्ज है। मौके पर उपस्थित खातेदारों के सामने वाले श्री पुरखाराम पुत्र लक्ष्मणाराम जाति जाट के मो. 9983727065 पर कॉल किया तो उन्होंने भूमि पैमाईश करने का मना किया तथा मौके पर आने का मना किया जिससे विवाद कि स्थिति को देखते हुए भूमि पैमाईश नही कि जा सकी ।

इसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 01 व 2 बार–बार माठे तोड़कर प्रार्थीगण के खेतो पर अतिक्रमण जमाकर कब्जा करने की काशिश करते रहते है। इस कारण सीमा विवाद निपटारे हेतु उपरोक्त खेतो के चारो तरफ पत्थर गढ़ी की जानी न्यायहीत में आवश्यक है । वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण जबरन प्रवेश न करे, तथा आगे से आगे अतिक्रमण नही करें तथा वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी/अवरोध पैदा न करे। एवं माठ,बाड़ इत्यादि को तोड़े नही तथा किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नही करे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमावे। वादीगण उक्त भूमि का खातेदार तथा अपनी भूमि की पैमाईश कर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाने व खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार का कानूनी अधिकार होने से दावा अन्तर्गत धारा 188,183 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 व अन्तर्गत धारा 11,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का माननीय अदालत में पेश किया गया ।

वाद पत्र दिनांक 1703.2020 को दर्ज रजिस्ट्रर होकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्व लगातार अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण वकील ने दिनांक 19.06.2024 को साक्ष्य शपथ पत्र,ब्यान गवाह PW-1,PW-2] PW-3 पेश किया। जो संलग्न पत्रावली किये।

हमनें पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी। वाद का मुख्य विचारणीय बिन्दु है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा है या नही तथा वादी उस कब्जे का खाली करवा वादग्रस्त आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है या नही । इस विचारणीय बिन्दु के समर्थन में वादी गवाह PW-1 प्रेमाराम,PW-2 हरीराम, PW-2 खंगाराराम पेश किये तथा दस्तावेज ई–एक्स पी–1, से ई–एक्स पी–7 प्रदर्शित करवाये। जमाबंदी ई–एक्स पी–1, ई–एक्स पी–4 व ई–एक्स पी–7 व मिलान क्षेत्रफल ई–एक्स पी–5 के अनुसार वादीगण खातेदार अंशदार होना साबित है। नजरी नक्शा प्रदर्शित ई–एक्स पी–2, ई–एक्स पी–3 के अनुसार अलग कब्जा होना बताया गया है तथा ई–एक्स पी–4 मौका रिपोर्ट से सीमाज्ञान करवाना साबित होता है। जिसके उक्त दस्तावेजी मौखिक एवं साक्ष्य का कोई खण्डन न्याय[illegible] प्रतिवादीगण की ओर से पेश नही हुआ है। पत्रावली एवं संल[illegible] के अवलोकन से यह जाहिर है कि वादी वादग्रस्त आराजी ग्राम वोढा की[illegible] [illegible]लेख निरीक्षण अरणाय की रिपोर्ट दिनांक 23.06.2019 के अनुसार प्रार्थी वादग्रस्त आराजी स्वंय कब्जा–काश्त है। प्रतिवादीगण की आराजी वादीगण की आराजी के साथ [illegible] बनती है, अतः उभयपक्ष के मध्य वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर विवाद होने से इनकार नही किया जा सकता। खातेदरो के मध्य आराजी को लेकर किसी प्रकार का सीमा विवाद न हो, इसके लिए यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:58:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर [illegible]
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यक है कि काश्तकारो को उनकी खातेदारी भूमि सही–सही ज्ञान हो। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 में प्रावधान है कि काश्तकारों के मध्य सीमा विवादों का निस्तारण धारा 111 में विहित प्रक्रिया से किया जावे।

वादी द्वारा अपने वादपत्र एवं बयानों में यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा उसकी भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 0.88 हैक्टयर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 23.06.2019 के अनुसार धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की पालना ही नही हुई, जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण किया है या नही ? न ही वादीगण यह साबित कर सके है कि कितने रकबे पर अतिक्रमण है। अतः वादी का वादपत्र विधिसंगत एवं साबित होने से आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

:–आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भलीभाती साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देश दिए जाते है कि ग्राम वोढा पटवार हल्का खारा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 272 रकबा 0.88 के खातेदार एवं अप्रार्थीगण के खतों के मध्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमा विवाद का निस्तारण करे एवं प्रार्थी के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा नम्बर की आराजी की सीमा पर सीमा विभाजक रोपित करावे। उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:58:03 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 सर–ए–अदालत सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner